

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT
प्रवर्तन अनुभाग/ENFORCEMENT SECTION

विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094
दूरभाष/Telephone : 25487245 / 25487243

क्रमांक DCSEM/Enft/E-2006/2024/ 498
No. DCSEM/Enft/E-2006/2024/

अप्रैल/ April 24, 2024

विषय : विभिन्न कार्यों के लिए अणुशक्तिनगर के परिसर का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश ।

Sub: Guidelines for using the premises at Anushaktinagar for various functions.

इस निदेशालय ने अणुशक्तिनगर की आवासीय कॉलोनी में कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संघों/मंडल/समिति को कार्यालय परिसर आबंटित किया है। इस निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ एसोसिएशन/मंडल/समिति ने व्यावसायिक आधार पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए प्रशिक्षक/ट्यूटर को अनुमति दी है/नियुक्त किया है, जो एसोसिएशन के खाते से पारिश्रमिक का भुगतान किए बिना प्रतिभागियों से सीधे पारिश्रमिक/शुल्क ले रहे हैं। यह देखा गया है कि कई निवासी अपने आवंटित फ्लैटों या सामान्य स्थानों जैसे स्टिल्ट एरिया या मैदान आदि का उपयोग करके व्यावसायिक गतिविधियाँ भी चला रहे हैं। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है और परिसर के आवंटन के उद्देश्य को विफल करता है।

This Directorate has allotted office premises to various social, religious, cultural Associations/Mandal/Samiti functioning in the residential colony of Anushaktinagar. It has been brought to the notice of this Directorate that some Associations/Mandal/Samiti have permitted / engaged trainer / tutor for conducting various activities on commercial basis who are charging remuneration / fees directly from the participants without being paid remuneration from the account of Associations/Mandal/Samiti etc.. It has been observed that many residents are also running commercial activities using either their allotted flats or common places like stilt areas or grounds etc. This is highly objectionable and defeat the purpose of allotment of premises.

एक अन्य घटना में, यह बताया गया है कि जिन संघों को सामाजिक, धार्मिक और/या सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कार्यालय परिसर आबंटित किया गया है, वे अणुशक्तिनगर में समारोह आयोजित करते समय कभी-कभी मुख्य अतिथि/वक्ताओं/अतिथियों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे आमंत्रित लोग सरकारी परिसर का उपयोग राजनीतिक मंच के रूप में कर रहे हैं। यह सरकारी आवास आवंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग), बॉम्बे नियम, 1982 के खंड VII (सी) का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि "आबंटिती या उसके परिवार के सदस्य या नौकर या आबंटिती के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा"। निवास या उसके आसपास किसी भी राजनीतिक गतिविधि में जहां डीसीएसईएम (तत्कालीन डीईएम) का अधिकार क्षेत्र विस्तारित होता है। ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए आबंटिती को जिम्मेदार माना जाएगा और आबंटन रद्द किया जा सकता है।"

In another incident, it has been reported that Associations who have been allotted office premises for social, religious and / or cultural activities are sometime inviting Chief Guest / Speakers / Guests while conducting functions in the Anushaktinagar whereby invitees are making use of Govt. premises as political platform. This amounts to breach of clause VII (c) of Allotment of Government Residence (Department of Atomic Energy), Bombay Rules, 1982 which stipulates that "Allottee or member of his/her family or servants or any one staying with the allottee shall not indulge in any political activity in or around the residence or its surroundings where the jurisdiction of DCSEM (erstwhile DEM) extends. Allottee shall be deemed responsible for any such activity and the allotment shall be liable to be cancelled".

2.उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी ने अणुशक्तिनगर में विभिन्न कार्यो के संचालन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया है।

In view of the above, the Competent Authority in this Directorate has decided to implement the following guidelines for conducting various functions at Anushaktinagar :-

ए) अणुशक्तिनगर में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य आदि आयोजित करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी/प्रबंधन समिति के सदस्य डीएई कर्मचारी हों और अणुशक्तिनगर/मंडाला कॉलोनी में रहते हों।

a) Permission for conducting social, cultural, religious functions etc. in Anushaktinagar will be granted only if all the Office Bearers / Management Committee members of the Association are DAE employees and residing in Anushaktinagar/Mandala colony.

बी) गैर-डीएई कर्मचारियों की भागीदारी के मामले में, डीएई कर्मचारियों के अलावा ऐसे बाहरी व्यक्तियों की सूची सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करते समय सुरक्षा अणुशक्तिनगर को प्रस्तुत करनी होगी।

b) In case of participation of non-DAE employees, list of such outside persons other than DAE employees will have to be furnished to Security Anushaktinagar while obtaining security clearance.

सी) अणुशक्तिनगर के परिसर का उपयोग करने की अनुमति सुरक्षा मंजूरी के साथ डीसीएसईएम से न्यूनतम 7 दिन पहले प्राप्त की जाएगी।

c) Permission for using the premises of Anushaktinagar shall be obtained minimum 7 days in advance from DCSEM with security clearance.

डी) सभी एसोसिएशन/मंडल/समिति/निवासियों को अणुशक्तिनगर परिसर, होमी भाभा पार्क और संगम जलवायु विहार में इमारतों के खड़े क्षेत्रों में किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने से बचना चाहिए। इन्द्रधनुष का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

d) All Associations/Mandala/Samiti/Residents should desist from conducting any commercial activities in stilted areas of buildings in Anushaktinagar premises, Homi Bhabha Park and Sangam Jalvayu Vihar. Indradhanush should not be used for commercial activity.

ई) डीसीएसईएम से प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने से पहले सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की जाएगी। यदि बैनर प्रदर्शित किए जाने हैं, तो सुरक्षा द्वारा बैनर की सामग्री की भी जांच की जानी चाहिए।

e) Security clearance shall be obtained prior to obtaining administrative clearance from DCSEM. In case banners are to be displayed, contents of banners should also be vetted by Security.

एफ़) सामाजिक कार्यों में राजनेताओं का राजनीतिक हस्तक्षेप/भागीदारी पूर्णतः वर्जित होगी।

f) Political interference/participation of politicians for social functions to be completely avoided.

जी) कार्यक्रम रात्रि 10:00 बजे से पहले समाप्त किया जाना चाहिए।

g) Programme to be concluded before 22:00 hrs.

एच) डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

h) Use of DJ is strictly prohibited.

आइ) यदि जुलूस निकालना हो तो सुरक्षा से विशेष अनुमति लेनी होगी।

i) If procession had to be carried out, special permission needs to be taken from Security.

जे) अणुशक्तिनगर के खुले स्थान/लॉन का उपयोग करने की अनुमति केवल अणुशक्तिनगर में रहने वाले डीईई कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को दी जाएगी। हालाँकि, उन्हें अपने माता-पिता और संतानों के अलावा अपने रिश्तेदारों से संबंधित कोई भी समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

j) Permission for using open space/lawn of Anushaktinagar will be granted to DAE employees/ex-employees residing in Anushaktinagar only. However, they will not be allowed to conduct any functions pertaining to their relatives other than their parents & wards.

के) सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है।

k) Communal harmony and law and order needs to be maintained.

3. उपरोक्त नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में:

In case of violation of above terms and conditions:


ii) एसोसिएशन/व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए अणुशक्तिनगर में कोई भी समारोह आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

The Association/person will be debarred from conducting any functions in Anushaktinagar for a period of one year.

- II) जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
The security deposits will be forfeited.
- III) परिसर का उपयोग करने के लिए भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क/किराया कटौती योग्य यह होगा।
Licence fee/rent paid for using premises is liable to be deducted.
- IV) यदि आबंटन नियमों का गंभीर उल्लंघन होता है, तो आबंटनी द्वारा उल्लंघन के मामले में ऐसे संघों को कार्यालय परिसर के आबंटन/आवास के आबंटन को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
Action will be initiated for cancellation of allotment of office premises to such Associations/allotment of residence in case of violation by allottee, if grave violation of allotment rules are involved.

यह निदेशक, डीसीएसईएम के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Director, DCSEM.


23.04.2024

(एस.एस. गोंडाणे / S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और संपदा अधिकारी
Chief Administrative Officer and Estate Officer

अणुशक्तिनगर के समस्त आबंटिती

All allottees of Anushaktinagar

प्रतिलिपि /Copy to :

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर/Chief Security Officer, Anushaktinagar.
2. डीई की सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच संचलन के लिए / Administrative Heads of all Units of DAE- For circulation among the employees in their Unit.
3. महासचिव, एआरडब्ल्यू/एमआरडब्ल्यू/डब्ल्यूएसआरडब्ल्यू / General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA.
4. डीसीएसईएम वेबसाइट / DCSEM website.